

उत्तरांचल वन विकास निगम
सूचना का अधिकार अधिनियम -2005

रियायतों, अनुज्ञा पत्रों तथा प्राप्तिकर्ताओं के सम्बन्ध में विवरण :

उत्तरांचल वन विकास निगम द्वारा अपने कार्मिकों को पूरे सेवाकाल में एक बार भवन निर्माण के लिए पद के अनुरूप प्रकाष्ठ की निश्चित मात्रा विशेष निर्धारित दरों पर दिये जाने का प्राविधान है। इन प्राविधानों के अन्तर्गत उत्तरांचल वन विकास निगम के केवल सीधी भर्ती के कार्मिकों को ही इन रियायतों का लाभ मिल सकता है।

उत्तरांचल वन विकास निगम द्वारा राज्य में 52 फुटकर विक्रय डिपुओं में घटी दरों पर उपभोक्ताओं को जलौनी प्रकाष्ठ की आपूर्ति निजी उपयोग/शवदाह हेतु की जाती है। उत्तरांचल वन विकास निगम जलौनी प्रकाष्ठ को अपनी लागत से कम मूल्य पर बेचकर अपने सामाजिक दायित्व की पूर्ति करता है। इस कार्य में उत्तरांचल वन विकास निगम द्वारा दी गयी सबसिडी का विवरण निम्नवत् हैं :-

वर्ष	ईंधन का प्रकार	मात्रा	सब्सिडी जो निगम द्वारा वहन की गई (रुपये में)
2001-02	जलौनी लकड़ी	22200 घन मीटर	33,00,000.00
	कोयला	3530 कुन्तल	7,00,000.00
	योग		40,00,000.00
2002-03	जलौनी लकड़ी	25400 घन मीटर	38,00,000.00
	कोयला	3240 कुन्तल	6,50,000.00
	योग		44,50,000.00
2003-04	जलौनी लकड़ी	27991 घ० मी०	59,71,000
	कोयला	1928 कुन्तल	5,31,700
2004-05	जलौनी लकड़ी	23035 घ०मी०	53,65,026 (अनन्तिम)
	कोयला	-	-